

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 नवंबर, 2016

संकल्प

सं.06/5/2015-टीयूएफएस: संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) वस्त्र मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.01.2016 के समसंख्यक संकल्प द्वारा अधिसूचित की गई और दिनांक 29.02.2016 के इस मंत्रालय के सम-संख्यक संकल्प के तहत संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के लिए वित्तीय एवं परिचालनात्मक मापदंड और क्रियान्वयन तंत्र वाले दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए। दिनांक 5 अक्टूबर, 2016 को आयोजित एटीयूएफएस की अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति (आईएमएससी) की प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर उक्त दिशानिर्देश में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किए गए हैं:

पैरा	मौजूदा प्रावधान	नए प्रावधान
4.2.2	“एटीयूएफएस के अंतर्गत पात्र मशीनरी की लागत के 20% मूल्य तक मशीनरी के साथ प्राप्त उपस्कर/संलग्नक/नमूना मशीनें/कलपुर्जे भी पात्र होंगे।”	“एटीयूएफएस के अंतर्गत पात्र मशीनरी की लागत के 20% मूल्य तक मशीनरी के साथ अथवापरियोजना के अंतर्गत मशीनरी के दूसरे विनिर्माताओं से प्राप्त उपस्कर/संलग्नक/नमूना मशीनें/कलपुर्जे भी पात्र होंगे।”
5.1.2	“चूंकि यह योजना क्रेडिट लिंकड है, उद्यमी को इस योजना के अंतर्गत पात्र बनने के लिए कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 50% के रूप में मशीनरी के आवधिक ऋण के घटक को बनाये रखना अपेक्षित होगा।”	“चूंकि यह योजना क्रेडिट लिंकड है, उद्यमी को इस योजना के अंतर्गत पात्र बनने के लिए परियोजना के अंतर्गत कुल पात्र मशीनरी लागत का न्यूनतम 50% के रूप में आवधिक ऋण घटक को बनाये रखना अपेक्षित होगा।”

2. उक्त संशोधन 13.01.2016 से प्रभावी होंगे। इस संकल्प के जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि का विस्तार उन उद्यमियों के लिए होगा जो एटीयूएफएस के दिशानिर्देश के मौजूदा पैरा 5.1.2 में निहित प्रावधानों के कारण अपने आवेदनों को अपलोड नहीं कर सके थे।

(पुष्पा सुब्रह्मण्यम)

अपर सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को प्रेषित की जाएं।

(पुष्पा सुब्रह्मण्यम)

अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय,

(भारत सरकार प्रेस) फरीदाबाद

(To be published in Part I Section 1 of the Gazette of India)

Government of India
Ministry of Textiles


New Delhi, the 22nd November, 2016

RESOLUTION

No.6/5/2015-TUFS- The Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS) has been notified by the Ministry of Textiles vide Resolution of even number dated 13.01.2016 and the guidelines containing financial and operational parameters and implementation mechanism for Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS) were notified vide this Ministry's Resolution of even number dated 29.02.2016. In partial modification of the said guidelines, the following amendments are made based on the decision taken in the 1st meeting of the Inter-Ministerial Steering Committee (IMSC) on ATUFS held on 5th October, 2016:-

Para	Existing provision	New Provision
4.2.2.	<i>"Accessories / attachments / sample machines / spares received along with the machinery upto a value of 20% of the machinery cost eligible under ATUFS will also be eligible."</i>	<i>"Accessories / attachments / sample machines / spares received along with machinery or procured from other manufacturers of the machinery under the project upto a value of 20% of the machinery cost eligible under ATUFS will also be eligible."</i>
5.1.2.	<i>"Since the Scheme is credit linked, the entrepreneur will be required to keep the term loan component of machinery at a minimum of 50% of the total project cost, to become eligible under the scheme."</i>	<i>"Since the Scheme is credit linked, the entrepreneur will be required to keep the term loan component at a minimum of 50% of the total eligible machinery cost under the project, to become eligible under the scheme."</i>


2. The above amendments will be effective from 13.01.2016. Extension of period of one month will be allowed from the date of issue of this Resolution for those entrepreneurs who were not able to upload their applications due to provisions contained in the existing para 5.1.2 of guidelines on ATUFS.


(Pushpa Subrahmanyam)
Additional Secretary to the Government of India

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that copies of the Resolution may be communicated to the concerned Ministries / Departments / Organizations.


(Pushpa Subrahmanyam)
Additional Secretary to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
(Bharat Sarkar Press),
Faridabad.